

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-196/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अजु कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना के दिनांक-10.09.2026 से 10.09.2027 (कुल-366 दिन) तक उपभोगित/ उपभोग की जानेवाली अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्राक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-1459(25) दिनांक-14.08.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

ह० / -

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-196/2026- 2243(2) पटना, दिनांक 17/9 /2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना / कोषागार पदाधिकारी, पटना / डा० अजु कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Waman K 16/9/26
सरकार के उप सचिव।